शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज, सिवनी



(केवल कार्यालय उपयोग हेतु) आवंटित शाखा पी.पी.टी. मार्कस श्रेणी/ जाति छात्र/छात्रा का रंगीन पी.पी.टी. मैरिट रैंक पासपार्ट साईज फोटो पी. पी. टी. रोल नं. -1. निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया :-3. (2) हाई स्कूल (10+2 प्रणाली) (34) अंकसूची :-(1) पी. पी. टी. परीक्षा हायर सेकेण्डरी (4) अन्य उच्चतर कक्षा की अंकसची (3) आयु प्रमाण पत्र, स्थानांनतरण प्रमाण - पत्रानुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुए :-अंतिम स्कूल या कालेज स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष एफीडेविट) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण - पत्र। मुल निवास प्रमाण पत्र। 3. ग्रीन कार्ड 13/05/2003 के पूर्व यदि हो तो 4. चरित्र प्रमाण पत्र। 5. सैनिक के पुत्र / पुत्री होने का प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र / पुत्री का पौत्र / पौत्री होने का प्रमाण पत्र। अर्हकारी परीक्षा म. प्र. के बाहर से पास करने का वास्तविक निवासी का प्रमाण पत्र। 8. विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि हो तो) एवं ग्रीन कार्ड धारक परिवार। 9. बीच में अध्ययन बन्द रहने पर न्यायालय से एफीडेविट। 10. राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्व विद्यालय म. प्र. से दिया गया आदेश पत्र। 11. (एन. ओ. सी.) अनापत्ति प्रमाण पत्र शासकीय पालीटेकनिक, महाविद्यालय (म. प्र.) 12. बी. पी. एल. कार्ड धारक की राशन कार्ड की छायाप्रति। 13. प्रवेशार्थी द्वारा दये गये प्रमाण पत्र सत्य पाये गये। कृपया प्रवेश दिया जावें। एवं निर्धारित फीस जमा करने के लिये लेखापाल को निर्देशित किया जावे। हस्ता. प्रभारी प्रवेश विभागाध्यक्ष हस्ता. जांच कर्ता हस्ता. प्रवेश सदस्य लेखापाल :- उपर्युवत छात्र / छात्रा को प्रवेश दिया जाता है। छात्र से शैक्षणिक शुल्क जमा करें। प्राचार्य शास. पालीटेकनिक कालेज, सिवनी शिक्षण शुल्क प्राप्ति विवरण शल्क रूपये

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा की फीस जमा किया एवं छात्र का पंजीयन किया गया।

हस्ताक्षर लेखापाल

शासकीय <mark>पॉलीटेकिक कालेज, सिवनी</mark> प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी :-

1.	किसी श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश है :- सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
2.	किस सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश चाहते हैं
3.	उम्मीदवार का नाम अंग्रेजी में
	(केपिटल लेटर में)
	उपनाम (सरनेम) नाम
4.	उम्मीदवार का नाम हिन्दी में
	उपनाम नाम
5.	पिता का नाम माता का नाम
6.	जाति (संबंधित जाति/वंश का नाम) (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
7.	आधार कार्ड क्रमांक
8.	छात्र का ब्लड़ ग्रुप
9.	पी. पी. टी. रोल नं
10.	पी. पी. टी. मेरिट मार्क
11.	जन्मतिथि (अंको में) (शब्दों में)
12.	जन्म स्थान राज्य राज्य
13.	शहरी/ग्रामीण
14.	पिता का व्यवसाय एवं वार्षिक आय रूपया रूपया
15.	पता :-
	(अ) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
	(ब) स्थाई पता
	ई-मेल टेलीफोन / मों. नं. 1 2
16.	स्थानीय अभिभावक का पता
	(अभिभावक का मों. नं.)
17.	अर्हकारी (10 वी) परीक्षा का नाम
	(अ) उत्तीर्ण होने का वर्ष
	(ब) पी. पी. टी. परीक्षा केन्द्र का नाम
18.	क्या आप मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौध्द/पारस/जैन
	के अंतर्गत आते हैं। यदि आते हैं तो जाति लिखें।

(5) पिछले पांच वर्षों तक कहा अध्ययन किया है उसकी जानकारी वर्तमान शिक्षण सत्र के प्रारंभ कर (यदि बीच में अध्ययन बन्द रहा हो तो कोर्ट का एफिडेविड प्रस्तुत करें) पिछले पाँच वर्षों का विवरण

āБ.	वर्ष	शाला का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कक्षा	प्राप्तांक	श्रेणी
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

(6) क्या अर्हकारी परीक्षा म. प्र. के बाहर से उत्तीर्ण किया है। हां / नहीं, यदि हो तो म. प्र. के वास्तविक निवासी होने का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करें।

– छात्र की घोषणा –

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य हैं, तथा उपरोक्त कोई जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त माना जावेगा। मैं यह वचन देता/देती हूं कि अध्यययन की अवधि में संस्था के नियमों तथा अनुशासन का पालन करूंगा / करूंगी।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

शासकीय पॉलीटेकनिक कालेज, सिवनी

मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पालीटेकनिक में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं के पिता/माता अभिभावक द्वारा दिया जाने वाला

मैं	(पिता का नाम) पिता / मा	ता / अभिभावक .	(छात्र का नाम)	••••••
ভান্ন/ভ	गत्रा (सेमेस्टर/ब्रांच)	सेमेस्टर/ब्रॉच	सत्र	
शासकी	य पालीटेकनिक कालेज सिवनी विश्वविद्यालय अधिनियम	1173 के अध्यादेश	के नियम 12 एवं 13 आचरण	संहिता
के निम्न	नितिखित नियमों से पूर्णतः भिज्ञ हूं।			
(1)	कि छात्र / छात्रा संस्था में सदैव अच्छा व्यवहार करेगा / शिष्टाचार तथा गरिमा बनाये रखेगा / रखेगी, सहशल्पाचा और संस्था के अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करेगा/	री कार्यकलापों में स /करेगी।	मुचित रूप से भाग लेगा / लेगी	
(2)	छात्र/छात्रा के संस्था के परिसर के भीतर या बाहर अनुशा के स्वरूप तथा गंभीरता के अनुसार आचरण संहिता में उत (क) छात्र/छात्रा की एक साथ एक सप्ताह के अधिक	न्लेखित प्रक्रिया के उ	अनुसार :-	
	(ख) छात्र / छात्रा को संस्था से निकाल (एक्सपैल) स (ग) छात्र / छात्रा को अगली परीक्षा में भाग लेने से उ (घ) छात्र को निष्कासित (रस्टिकेट) कर सकेंगे।		केंगे या	
(3)	(घ) छात्र को निष्कासित (रिस्टिकेट) कर सकेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि छा या अनुशासन को दूषित करें या संस्था में पठन-पठान की व			
(4)	मैं स्वीकार करता / करती हूं कि छात्र / छात्रा के संस्था है कारण संस्था के प्राचार्य द्वारा बुलाये जाने पर जिसकी सूच निर्दिष्ट अवधि में प्राचार्य सम्मुख उपस्थित होउंगा / होऊंग	ाना मुझे छात्र छात्रा व	के माध्यम से यथा शीघ्र प्राप्त हो	गी,
	में उनके सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ / हुई, यह अधिकार ह प्रवेश निरस्त कर सकें।			
स्थान : दिनांक	- सिवनी :-	माता / पिता / ऑ पूर्ण नाम :	भिभावक के हस्ताक्षर	

उक्त वचन प्रा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया गया।

फोन/मों. नं.

सिवनी : दिनांक प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर

ANNEXURE I AFFIDAVIT BY THE STUDENT

(full name of student with addmission / regulation on Curbing)
S/o D/o Mr./Mrs./Ms.
1) I have been admitte to
 I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and I am aware as th what constitutes ragging.
I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
I hereby solemnly aver and undertake that I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under
a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on avecount of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission in liable to be cancelled.
Declared this day of month of year
Signature of Deponent Name VERIFICATION
Verify that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part
of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.
Verified at(place) on this the (day) of (month)(Year)
Signature if deponent
solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day)of(month)(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE, SEONI (M.P.) 480661 UNDERTAKING BY PARENT / GUARDIAN

1.	Mr. / Mrs./Ms			
2.	I have, in particular, perused Clause 4 of the Regulation and am aware as to what constitutes ragging.			
3.	I have also, in particular, perused clause 5 (4) and Clause 8 (4) (a) of the regulation and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty for abetting Ragging, actively or passively or being part of conspirancy to promote ragging.			
4.	I hereby solemnly aver and undertake that (a) My word will indulge in any behavior or act that may be constitute as ragging under Clause 4 of the regularions. (b) My word will not participate in or abet of propagate through any act of commission of omission that may be constituted as ragging under Clause 4 of the Regulations.			
5-	I hereby solemny affirm that, if found guilty of ragging my word is liable for punishment according to clause 8 (4) (a) of the Regulations, withour prejudice to any other criminal action that may be taken age under any penal law for the time being in force.			
6.	I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and further affirm that, in case that declaration is found to untrue. I am aware that the admission of my word is liable to be cancelled.			
	Declared this Day of Month of Year.			
	Signature of Parent / Guardian			
	Name :			
	Address :			
	Mob./Tel. No. :			
	ID. Card No. :			